

71

माननीय राज्य मण्डल मद्रास न्याय विभाग

A-1572-II/2010



श्री राम चरण कुंवाडा का पिता 1980
हस्ता प्रमाण
प्रमाणित

राम चरण पिता श्री राम प्रताप कुंवाडा उम्र - 48 वर्ष, निवासी ग्राम -
उमरी, तहसील गुड्ड, जिला - रीवा म.प्र. ---अपीलार्थी/ आवेदक

बनाम

29-10-10
2015 का 110
30/11/10

राम राज उम्र - 54 वर्ष
राम लाल उम्र - 49 वर्ष
राम चरण उम्र - 44 वर्ष
राम देव उम्र - 39 वर्ष

सभी के पिता - राम प्रताप कुंवाडा
सभी निवासी ग्राम - उमरी, तहसील गुड्ड,
जिला - रीवा म.प्र.

आदेशों के आधार पर

अपील बिना आदेशों के आधार पर रीवा के निगमानी
प्र. 0. 222/निगमानी 103-04 में पारित
आदेश दिनांक 2/8/10 के म.प्र. भू-राज्य
संहिता 1959 ई. की धारा - 44(2) के अधीन
अपील

अधीक्षक
कलेक्टर, रीवा (म.प्र.)

क्यासा 2604
सिस्टम पोस्ट द्वारा आदेश
दिनांक 11-10-10 को प्राप्त
कलेक्टर

अपील के आधार निम्न है :-

- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- यह कि अपीलार्थी राम चरण कुंवाडा ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी 20-28 में आवेदक को बिना विधिवत सूचना के धोरे ही किये नामांतरण पंजी

श्रीम-पुनः (पुनः)


क्रमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1572-II/10

जिला-रीवा

रामचरण कुशवाहा/रामराज वगैरः

(1)	(2)	(3)
18.07.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	